

सं. 1826/एसआरएच/रिकॉन्ट/सोलन/एचपी/केएसबी/रक्षा

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

बी विंग' सेना भवन,
नई दिल्ली - 110011

दिनांक 19 जनवरी, 2021

सचिव

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड

पश्चिम ब्लॉक-IV, विंग-VII,

आर के पुरम, नई दिल्ली-110066

हिमाचल के सोलन में सैनिक विश्राम गृह के निर्माण की लागत में केन्द्र के 50%

हिस्से की मंजूरी

महोदय,

मुझे निदेशक, सैनिक कल्याण, हिमाचल प्रदेश द्वारा यथा प्रस्तावित सोलन में सैनिक विश्राम गृह के निर्माण हेतु राष्ट्रपति के अनुमोदन के बारे में सूचित करने का निदेश हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के लिए सैनिक विश्राम गृह, सोलन के निर्माण की 50% लागत के तौर पर डीएसई बजट में से केन्द्र के हिस्से के रूप में 1,57,66,200 रु. (केवल एक करोड़ सत्तावन लाख छयाछठ हजार दो सौ) का वित्तीय प्रभाव शामिल है। 1,57,66,200/- रु. का भुगतान (50% की साझेदारी के आधार पर) दो किशतों में किया जाएगा। 78,83,100/- रु. की 50% निर्माण लागत की पहली किशत प्रारम्भिक तौर पर निधियों की उपलब्धता के अधीन की जाएगी। दूसरी और अन्तिम किशत कार्य निष्पादन एजेंसी से उपगत अन्तिम लागत सहित समापन प्रमाणपत्र तथा संबंधित राज्य सैनिक बोर्ड के निदेशक से उपयोग प्रमाणपत्र पर जारी की जाएगी। यह राशि डीएसई बजट में से पीसीडीए (पश्चिमी कमान), चंडीगढ़ द्वारा सीधे निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, हिमाचल प्रदेश को भेजी जाएगी।

2. शामिल राशि रक्षा सेवा अनुमानों के मुख्य शीर्ष-2076, लघु शीर्ष 800बी (एस) (कोड शीर्ष 583/00) के नाम लिखी जाएगी।
3. इस परियोजना के निष्पादन के समय केएसबी के दिनांक 28/09/2017 और 12 अक्टूबर, 2017 के समसंख्यक पत्र के मार्फत यथासंशोधित केएसबी सचिवालय द्वारा सभी डीएसडब्ल्यू/आरएसएम (सभी राज्य) को दिनांक 06 जनवरी 2015 की संख्या 1826/एसआरएच/नीति/केएसबी/रक्षा के माध्यम से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
4. इसे रक्षा मंत्रालय के दिनांक 13 अगस्त 2009 के पत्र सं. 10(3)/11/आई एंड सी/2009/रक्षा (पुनर्वास) के परिशिष्ट 'क' के एस आई सं. (डी) के मार्फत प्रदान शक्तियों के अधीन दिनांक 14/1/2021 के डीवाए सं. पी-3463 के जरिए सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अनुमोदन से तथा दिनांक 23.12.2020 के आईडी नोट सं. 31(01)/2018/वित्त/पेंशन के माध्यम से रक्षा मंत्रालय/वित्त/पेंशन की सहमति से जारी किया जाता है।

सादर

(के.सी.मीणा)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति प्रेषित:-

1. एएफए (बजट)/रक्षा मंत्रालय (वित्त), साउथ ब्लॉक
2. सीजीडीए, नई दिल्ली
3. पीसीडीए, जी ब्लॉक, नई दिल्ली
4. एएफए (पेंशन)
5. पीसीडीए, पश्चिमी कमान, चंडीगढ़
6. निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, हिमाचल प्रदेश
7. एजी, हिमाचल प्रदेश
8. स्वीकृति आदेश फोल्डर अवर सचिव (पुनर्वास-II)